[2018] 6 एस.सी.आर 648

करेन्सी नोट प्रेस और अन्य

बनाम

एन. एन. सरदेसाई और अन्य

सिविल अपील संख्या 5152/2017

20 जुलाई, 2018

[न्यायमूर्ति, अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति, एस. अब्दुल नजीर]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 –एस. 33–सी (2)–ओवरटाइम मजदूरी–के लिए दावा–काम के लिए ओवरटाइम मजदूरी का दावा करने वाले कर्मचारियों द्वारा आवेदन जो उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए जाने का दावा करते हैं–श्रम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया–हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई–के साथ हस्तक्षेप–आयोजितः नहीं बुलाया गया क्योंकि कर्मचारी (कुल 17) अब सेवा में नहीं हैं और या तो सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है; इसमें शामिल राशि और कर्मचारियों को दी गई राशि बहुत बड़ी नहीं है; यह 1986–1990 की अवधि से संबंधित है; राशि पहले से ही विवादित आदेश के अनुसार कर्मचारियों को बहुत पहले भुगतान की गई थी; और यह ड्यूटी पर रहते हुए कर्मचारियों द्वारा किए गए ओवरटाइम काम से संबंधित है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 5152/2017

रिट याचिका संख्या 534/1997 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 21.10.2011 से।

राहुल श्याम भंडारी, सुश्री मधु श्वेता, रोहित जैन, सुश्री आभा आर. शर्मा, विनय नवारे, डॉ. रवींद्र चिंगले, सुश्री दीपलक्ष्मी मतवणकर, सुश्री ग्वेन, आर. बालासुब्रमण्यम, सचिन शर्मा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति, अभय मनोहर सप्रे, द्वारा दिया गया था–

1. प्रस्तुत अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 1997 की रिट याचिका संख्या 534 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.10.2011 जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थीगणओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी और श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.1995 के पारित आदेश को रद्द कर दिया और प्रत्यार्थीगणों के आवेदनों को स्वीकार किया गया।

2. अपील में शामिल छोटे मुद्दे की सराहना करने के लिए आवश्यक सीमा के अलावा तथ्यों को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

3. अपील में शामिल सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों (कर्मचारियों) की रिट याचिका को न्यायनुमत ढंग से स्वीकार किया गया और इसलिए, श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायनुमत ढंग से अपास्त किया गया था।

4. इसमें अपीलार्थीगण पूर्णतया वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में काम करने वाले निगमित निकाय हैं और इन्हें विशेष रूप से 7 अन्य इकाइयों के साथ मुद्रा नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई का काम करने के लिए शामिल किया गया था।उनका प्रिंटिंग प्रेस नासिक (महाराष्ट्र) में है। प्रत्यर्थीगण (कुल 17) सभी प्रासंगिक समय पर कनिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रमुख लेखाकार और अनुभाग अधिकारी जैसे विभिन्न पदों पर अपीलार्थियों के मुद्रण प्रेस के कर्मचारी थे।

5. अपीलार्थीगण के कर्मचारी होने का दावा करने वाले प्रत्यर्थीगण ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33–सी (2) के तहत श्रम न्यायालय संख्या 2, बॉम्बे (संक्षेप में, "श्रम न्यायालय") के समक्ष अपीलार्थीगण के खिलाफ आवेदन दायर किए, जो 1986 से 1990 की अवधि के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए काम के लिए ओवरटाइम मजदूरी का दावा करते हैं।तथ्यों और कानून पर अपीलार्थीगण ने इन आवेदनों का विरोध किया।

6. दिनांक 16.02.1995 के आदेश द्वारा, श्रम न्यायालय ने आवेदनों को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थीगण ने व्यथित महसूस किया और श्रम न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

7. आक्षेपित आदेश द्वारा, एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और श्रम न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रत्यर्थियों के आवेदनों को स्वीकार कर लिया और उन्हें उसमें दावा की गई मौद्रिक राहत प्रदान कर दी।यह इस आदेश के खिलाफ है, अपीलार्थीगण (नियोक्ताओं) ने व्यथित महसूस किया है और इस अदालत के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम नीचे उल्लिखित एक से अधिक कारणों पर अपील को खारिज करने के लिए इच्छुक हैं।

9. पहला, सभी प्रत्यर्थीगण (कुल 17) अब सेवा में नहीं हैं और या तो सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो गई है; दूसरा, इसमें शामिल राशि और प्रत्यार्थीगणों को दी गई राशि बहुत बड़ी नहीं है; तीसरा, यह 1986–1990 की अवधि से संबंधित है; चौथा, विवादित आदेश के अनुसार राशि, प्रत्यर्थीगणओं को पहले ही बहुत पहले वापस कर दी गई थी; और

अंत में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह कर्तव्य पर रहते हुए इन प्रत्यर्थीगणओं (कर्मचारियों) द्वारा किए गए ओवरटाइम काम से संबंधित है।

10. इन पाँच तथ्यात्मक कारणों को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

11. हालाँकि, अपीलार्थीगण (नियोक्ताओं) के विद्वान अधिवक्ता ने कई कानूनी मुद्दों पर तर्क दिया, जो उनके अनुसार मामले में उत्पन्न होते हैं।ये प्रस्तुतियाँ बॉम्बे दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 और कारखाने अधिनियम, 1948 के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित हैं।

12.ऊपर दिए गए पाँच तथ्यात्मक कारणों को ध्यान में रखते हुए, जो मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, हम अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए कानूनी प्रश्नों की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और इन प्रश्नों को किसी अन्य मामले में उनके गुण–दोष पर हमारे निर्णय के लिए खुला छोड़ना उचित समझते हैं।

13. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

Jai Shankar Mishra